प्रेस–विज्ञपित

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद बुलन्दशहर में सामान्यतौर पर निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के वर्ष 2010 में प्रचलित राशन कार्डों को ऑफलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अद्यावधिक कराने के पश्चात् ऐसे परिवार 1– जिनके राशन कार्ड वर्ष 2010 के पश्चात् जारी हुय है, 2–वर्ष 2010 के पूर्व राशनकार्ड तो बने है,लेकिन उनका डाटा फॉर्म उन्हे उपलब्ध नहीं कराया गया, 3–जिन परिवारों के पास अब तक किसी योजना का राशन कार्ड नहीं बना है, के भी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशन कार्ड जारी किये जाने के आदेश शासन स्तर से प्राप्त हुए है।

नया राशन कार्ड बनवाये जाने हेतु आवश्यक सूचनायें एवं अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य अभिलेखों का विवरण इस आशय से उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उपरोक्त श्रेणी के आवेदक निर्धारित आवेदन–पत्र आसानी से समयान्तर्गत प्रस्तुत कर सकें।

आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों का विवरण :–

1– परिवार के मुखिया का वोटर आई0डी0 साथ ही परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रत्येक सदस्य का वोटर आई0डी0 की छायाप्रति **(अनिवार्य)**।

2– मुखिया का मोबाइल नम्बर **(न होने की स्थिति में घोषणा–पत्र भरा जायें)**।

3– मुखिया का बैंक खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड व बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति **(न होने की स्थिति में घोषणा–पत्र भरा जाये)**।

4– स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र(तहसील/ग्रामप्रधान/नगर निगमपार्षद/सभासद द्वारा जारी)**(अनिवार्य)**।

5– मुखिया का दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ **(अनिवार्य)**।

6– मुखिया एवं परिवार के सदस्यों की आधार कार्ड संख्या/यू0डी0आई0 इनरोलमेन्ट संख्या/एन0पी0आर0 संख्या की छायाप्रति।

आवेदकों को आवेदन–पत्र में उक्त अभिलेखों के साथ–साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य की जन्मतिथि, माता का नाम, गैस एजेंसी का नाम, कनेक्शन संख्या, स्थायी एवं वर्तमान मकान नम्बर आदि का विवरण भी अंकित करना होगा। अतः सभी संबन्धित व्यक्तियों से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त वांछित अभिलेख इत्यादि तैयार रखें। उक्त कार्य शासन की एक महत्वपूर्ण योजना का अंश है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ता को ही प्राप्त होना है। कार्य समयबद्ध है अतः आवेदन–पत्र का प्रारूप जो कि शीघ्र ही उपलब्ध कराया जा रहा है, को अपने निकटस्थ उचित दर विक्रेता/तहसील/ब्लॉक कार्यालय/क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय/जिला पूर्ति कार्यालय से प्राप्त करके नियमानुसार भरकर उपलब्ध कराये ताकि उसकी ऑनलाईन फीडिंग करायी जा सके।

(द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी)
जिला पूर्ति अधिकारी,
बुलन्दशहर ।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांकः 1285/जि0पू0अ0/कम्प्यूटरीकरण/2014, दिनांक : 23– अगस्त,2014

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– संयुक्त आयुक्त खाद्य महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– डी0आई0ओ0, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक, जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सहाय विकास अधिकारी(पंचायत), जनपद बुलन्दशहर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6– मा0 सांसद/विधायक/अंन्य जनप्रतिनिधियों को सादर सूचनार्थ प्रषित।

7– अपर जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को चार अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस–विज्ञप्ति को स्थानीय दैनिक समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

23/8/14

जिला पूर्ति अधिकारी,
बुलन्दशहर ।